

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3014

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए योजनाएं

3014. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे और चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की संख्या कितनी है;
- (घ) देश में ऐसे पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के संवितरण में आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने पर उक्त योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित (कैशलेस उपचार) और हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

(i) प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार शुरू की गई सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना में किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल सभी पीड़ितों को उपचार कवर उपलब्ध होगा।

(ii) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों की योजना, 2022 के लिए मुआवजा: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, केंद्र सरकार को हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 को सा.का.नि. 163(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और इसे दिनांक 01.04.2022 से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट की स्थिति में 50,000 रुपये का निश्चित मुआवजा प्रदान किया जाता है।

(ग) दिनांक 31.07.2026 तक, शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों की स्थिति इस प्रकार है:

पीएम-राहत योजना के तहत, 1 सड़क दुर्घटना पीड़ित को उपचार के लिए पंजीकृत किया गया है। संबंधित ई-डीएआर अनुरोध पुलिस द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिससे पीड़ित योजना के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण उपचार कवरेज के लिए पात्र हो गया।

हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की योजना, 2022 के तहत, 2 दावे प्राप्त किए गए हैं और उनका निपटारा किया गया है।

(घ) उपचार प्रदान करने, दावों के निपटान और मुआवजे के वितरण में देरी को कम करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत समयबद्ध प्रक्रियाओं और स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है:

पीएम-राहत योजना के तहत, प्रवेश पर उपचार शुरू किया जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के एकीकृत लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) पोर्टल के माध्यम से पुलिस प्रमाणीकरण समानांतर रूप से किया जाता है। डिस्चार्ज के बाद, अस्पताल सत्यापन और अनुमोदन के लिए अपना दावा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को प्रस्तुत करता है। अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, जिला कलेक्टरों या जीआई परिषद द्वारा दावे को मंजूरी दिए जाने से लेकर भुगतान करने के लिए 10 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, जैसा भी मामला हो। निर्धारित समय के बाद, दावा स्वीकृत माना जाएगा। एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो दुर्घटना रिपोर्टिंग और उपचार से लेकर दावा अनुमोदन और अंतिम भुगतान तक एक पूर्ण ट्रेल प्रदान करता है। इसी प्रकार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 दावों के निपटान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। दावा जाँच अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, दावा निपटान आयुक्त को रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावे को मंजूरी देने की आवश्यकता होती है, और सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) को दावेदार को 15 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजा हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

(ङ) **पीएम-राहत योजना** सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उपचार से वंचित न करने के लिए अस्पतालों को वित्तीय निश्चितता प्रदान करते हुए मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस - 112), पुलिस के लिए दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र (ईडीएआर) और नामित अस्पताल नेटवर्क (टीएमएस 2.0) का एकीकरण एम्बुलेंस सहायता, निकटतम नामित अस्पताल की पहचान, उपचार की त्वरित शुरुआत, समानांतर पुलिस प्रमाणीकरण और अस्पतालों को सीधे प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है।

हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों की मुआवजा योजना, 2022 में मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट की स्थिति में 50,000 रुपये की निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जहां अपराध करने वाले वाहन की पहचान नहीं की जा सकती है। निर्धारित समयबद्ध दावा प्रक्रिया, डिजिटल

प्रोसेसिंग, ई-डीएआर लिंकेज और जिला सड़क सुरक्षा समितियों और राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों के माध्यम से निगरानी के साथ, पात्र दावेदारों को पारदर्शी और समय पर वितरण का सुनिश्चित करती है। सरकार ने गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के गोल्डन आवर के दौरान पीड़ितों की सहायता के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राह-वीर योजना शुरू की है। यह योजना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134ए और सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 29.09.2020 के तहत अधिसूचित नेक दिल नागरिक(गुड सेमेरिटन) नियमों के तहत गुड सेमेरिटन को प्रदान की गई सुरक्षा के साथ संचालित होती है। कोई भी व्यक्ति जिसने मोटर वाहन से जुड़े गंभीर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और चिकित्सा उपचार के लिए दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर उसे अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में ले जाकर सहायता की है, वह योजना के प्रावधानों के अधीन, प्रति घटना 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशंसा प्रमाण पत्र के लिए पात्र है।
